

मीडिया कर्मियों को मीडिया सेंटर तक मोबाइल की रहेगी अनुमति

निर्बाध दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने निर्देश जारी

सड़क मार्ग में खुदाई, निर्माण, अनुरक्षण से संबंधित सभी कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया

सीधी। आगामी 04 जून 2024 को लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतगणना का कार्य सुनिश्चित है, जिसके लिए बीएसएनएल द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवाएँ सीधी बीएसएनएल के द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। दूरसंचार सेवाओं की निरंतर उपलब्धता के लिए यह आवश्यक है कि दूरसंचार लाइन के मार्ग में कहीं भी खुदाई इत्यादि का कार्य उक्त अवधि में न हो जिससे मतगणना कार्य के दौरान दूरसंचार सेवाएँ सुचारू रूप से कार्यरत रहें।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग सीधी, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सीधी, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सीधी, मुख्य कार्यपालन

अधिकारी समस्त जनपद पंचायत जिला सीधी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत जिला सीधी, महाप्रबंधक एमपीआरडीसी संभाग सीधी/रीवा, क्षेत्रीय प्रबंधक एनएचआई सीधी/रीवा एवं समस्त निर्माण एजेंसी जिला सीधी को निर्देशित किया है कि उपरोक्त के संबंध में दिनांक 03.06.2024 से 05.06.2024 तक सीधी जिला अंतर्गत सीधी-चुरहट-रामपुर नैकिन बघवार रीवा, सीधी मड़ौली- ब्योहारी-शहडोल, सीधी- देवसर-वैदन- सरई - निगरी सड़क मार्ग में खुदाई/निर्माण/अनुरक्षण इत्यादि से संबंधित सभी कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है ताकि लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतगणना कार्य के दौरान संचार सुविधाओं को सुचारु एवं निर्बाध रूप से संचालित किया जा सके।

मतगणना के संबंध में पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन



जारी अधिकृत फोटोयुक्त प्रवेश पासधरिचय पत्र के आधार पर ही प्रवेश की अनुमति होगी। प्रवेश हेतु फ्लैक्स के माध्यम से निर्धारित रास्तों का चिह्नकन दर्शित रहेगा। पुलिस अधीक्षक सीधी के नियंत्रण एवं निर्देशन में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा दल की व्यवस्था की गई है। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन एवं अन्य प्रतिबंधात्मक सामग्री के साथ प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। मीडिया कर्मियों को मीडिया सेंटर तक मोबाइल की अनुमति रहेगी।

की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। वर्तमान समय के मौसम को देखते हुये प्रत्येक मतगणना कक्ष में 02-02 बड़े कुलर की व्यवस्था, गणना एजेंटों एवं कर्मचारियों के लिये प्रवेश द्वार क्रमांक 02 के पास महिला एवं पुरुष के लिये पृथक-पृथक प्रसाधन की व्यवस्था रहेगी।

अभ्यर्थियों /निर्वाचन अधिकारियों के बैठक व्यवस्था मतगणना भवन के अन्दर वाले आंगन में की गई है जिसमें एल.ई.डी.टी.वी. के माध्यम से समाचार एवं ईन्वीएम के मूवमेंट प्रदर्शित किया जायेगा। मतगणना की कार्यवाही प्रेक्षक एवं रिटर्निंग ऑफिसर के नियंत्रण में रहेगी।

वार्ता में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर नीलेश शर्मा, जिला जनसंपर्क अधिकारी मुकेश मिश्रा सहित जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मतगणना स्थल के 200 मीटर परिधि में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सीधी। लोकसभा निर्वाचन वर्ष 2024 के लिये मतों की गणना दिनांक 04.06.2024 को शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी (पुराना भवन) में प्रातः 08 बजे से किया जाना निर्धारित है। मतगणना कार्य शांतिपूर्ण एवं निर्बाध रूप से सम्पन्न कराये जाने की दृष्टि से मतगणना स्थल एवं मतगणना स्थल परिसर में शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के उद्देश्य से दिनांक 03.06.2024 को रात्रि 08 बजे से दिनांक 04.06.2024 को मतगणना कार्य पूर्ण होने अर्थात् निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रतिबंधित किया जाना आपेक्षित

सभा, रैली, जुलूस आदि पर रहेगा प्रतिबंध

आकस्मिक परिस्थितियों एवं अप्रिय परिस्थितियों के निवारण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सीधी स्वरोचिष सोमवंशी ने प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार मतगणना स्थल शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी (पुराना भवन) के 200 मीटर की दूरी तक दिनांक 03.06.2024 को रात्रि 08 बजे से दिनांक 04.06.2024 को मतगणना कार्य पूर्ण होने तक की अवधि में किसी भी प्रकार की सभाएं करना, रैली निकालना, जुलूस निकालना, लाउड स्पीकर का उपयोग करना, अधिकतम 05 व्यक्त से अधिक एकत्रित होना, एक साथ चलना प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन परिणाम घोषणा पश्चात् मतगणना स्थल को छोड़कर विजय अभ्यर्था द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर जुलूस निकालने में प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता, की धारा 188 अन्तर्गत कार्यवाही किया जावेगा।

नोडल अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न

आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें : रिटर्निंग ऑफिसर सोमवंशी

सीधी। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11-सीधी के जिले की चार विधानसभा क्षेत्रों 76-चुरहट, 77-सीधी, 78-सिहावल एवं 82-धौहनी की मतगणना दिनांक 04.06.2024 को संजय गांधी स्मृति शासकीय महाविद्यालय (पुराना भवन) सीधी में की जावेगी। कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर 11-सीधी स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा मतगणना की तैयारियों के संबंध में नोडल अधिकारियों से विस्तृत समीक्षा की गई।



उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए मतगणना का कार्य सप्ताहिक किया जाए। पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराएँ। शांतिपूर्ण मतगणना को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। कलेक्टर ने ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत पेयजल तथा सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मतगणना स्थल की साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। चिकित्सा व्यवस्था के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर नीलेश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर एसपी मिश्रा, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सीधी प्रिया पाठक, सिहावल प्रशान्त त्रिपाठी, धौहनी आरपी त्रिपाठी, चुरहट शैलेश द्विवेदी, एसडीओपी गायत्री तिवारी, मास्टर टेकर डॉ अरविन्द त्रिपाठी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर देवसर, चितरंगी, सिंगरौली एवं ब्योहारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

रैंक लाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है मानवता : सृष्टि वर्मा

सीधी। इंद्रवती नाट्य समिति, यूसीएन मास पब्लिक स्कूल, ट्रांसफ्रेम और आर्ट ऑन क्लिक के सहयोग से हर रविवार लोगों को ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से ओत-प्रोत फिल्में लगाता दिवस आरंभ हुआ है। बच्चों के उत्साह को देखते हुए और साथ युवाओं की सहभागिता रहती है। इस रविवार भारतीय हिन्दी भाषा की मशहूर फिल्म ऑल इंडिया रैंक का प्रदर्शन किया गया। साल 1997 में सेट यह फिल्म 17 साल के एक ऐसे लड़के विवेक सिंह की कहानी



है, जो ना चाहते हुए भी अपने बिजली विभाग में कार्यरत पिता आर के सिंह के दबाव में आईआईटी की तैयारी करने को मजबूर है। लखनऊ का विवेक अपने स्कूल का टॉपर रहा है, जो ना चाहते हुए भी अपने

आईआईटी - जेईई करवाने पर तुले होते हैं। इसलिए, विवेक मुंह लटकाकर बेमन से लखनऊ छोड़ आईआईटी कोचिंग के महाकूभ कोटा पहुंच जाता है। वरुण ग्रोवर ने खुद बीएसयू से आईआईटी की है और फिल्म में उन्होंने आत्मकथात्मक अनुभवों को पिरोया है। इससे कई वाक्ये रिलेटेबल लगते हैं। जैसे मोबाइल क्रांति से पहले वाले उस दौर में सेकंड देखकर पीसीओ पर बात करना कि 40 सेकंड हो गए, अब फोन रखो। वो

दोस्त, जो दोस्तों से कहे कि मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ और चोरी-छिपे तैयारी करके बाजी मार जाए। वरुण नब्बे के दौर का नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने में कामयाब रहे हैं। फिल्म समाप्त के दौरान बच्चो ने खड़े होकर तालीया बाजाई और परिचर्चा के दौरान सृष्टि वर्मा ने बमताया रैंक लाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है मानवता, सूर्य प्रकाश जी ने कहा माता - पिता के संबंध को समझे बच्चे और नीरज कुंदेर जी ने कहा आल इण्डिया रैंक में दिखा आई आई टी का संबंध।

नियम विरुद्ध बनाये गये ब्रेकर से आये दिन हो रही दुर्घटनाएं

अरविंद वेदाती, सीधी। स्मार्ट सिटी के तर्ज पर जमोड़ी तोरण द्वार से पडायनिया तोड़न द्वार के मध्य रोड का निर्माण प्रतिष्ठित सविदाकार द्वारा कराया गया। सड़क के बीचो-बीच ब्रेकर का निर्माण कराया गया है जो संभावित नियम विरुद्ध है ये ब्रेकर दूर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। आए दिन चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर ऐसा कोई भी दिन खाली नहीं जाता जिस दिन इन ब्रेकर के

वजह से एक्सीडेंट ना हो खास तौर पर संजय गांधी कॉलेज और कन्या कॉलेज के मध्य जो भी ब्रेकर है बिल्कुल देखने पर भी नहीं दिखते और इसी बीच सब्जी की दुकान व एमपी ऑनलाइन की कई गोमतीयां रोड के किनारे संचालित हैं और रोड में पब्लिक खड़ी होकर सब्जी की खरीदी हो या ऑनलाइन का कोई कॉलेज का काम करवा रही है अब अगर एक्सीडेंट होता है तो इसका जवाबदार कौन हो पूरा दिन का आवा गवन इसी रोड से हैं चाहे

शासन प्रशासन के कर्मचारी हो या राजनीतिक दाल चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सांसद हो या विधायक नगर पालिका अध्यक्ष हो या पार्सद सब देख कर भी हो अन्देखा कर रहे हैं एमपी ऑनलाइन की गोमतीयां को रोड से उठाकर कहीं अन्यत्र व्यवस्था किया जाए दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं इन बने हुए ब्रेकर में सफेद पेट की पुताई व यातायात के प्रतीक चिन्ह स्थापित हो जाए शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया है।

मतगणना स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने कार्यपालिक दण्डाधिकारी की ड्यूटी लगाई गई

सीधी। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा घोषित/अधिस्तुचित कार्यक्रम अनुसार लोकसभा निर्वाचन वर्ष 2024 की मतों की गणना दिनांक 04.06.2024 को शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी (पुराना भवन) में सम्पन्न होगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी कर मतगणना स्थल पर दिनांक 04.06.2024 को प्रातः 06 बजे से कार्य समाप्त तक के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को ड्यूटी कार्यपालिक

दण्डाधिकारी के रूप में लगाई गई है। जारी आदेशानुसार मतगणना स्थल गेट क्रमांक 01 एस.पी. मिश्रा उपखण्ड दण्डाधिकारी कुसमी एवं मतगणना स्थल गेट क्रमांक 02 सुषमा देवी रावत प्रभारी नजूल तहसीलदार सीधी की कार्यपालिक दण्डाधिकारी के रूप में लगाई गई है। मतगणना स्थल पर कानून व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी अपर जिला दण्डाधिकारी जिला सीधी एवं सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला सीधी होंगे।

मतगणना के संबंध में अभ्यर्थियों के साथ बैठक आयोजित

आयोग के निर्देशों के अनुरूप निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ मतगणना संपन्न होगी : रिटर्निंग ऑफिसर सोमवंशी

सीधी। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतगणना के संबंध में कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर स्वरोचिष सोमवंशी की अध्यक्षता में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11-सीधी के अभ्यर्थियों एवं उनके अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतगणना के लिए की गई तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए रिटर्निंग ऑफिसर श्री सोमवंशी ने आश्चस्त किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्रक्रियाओं, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ मतगणना संपन्न की जायेगी।



शान्तिपूर्ण सम्पन्न हुआ है। इसी प्रकार मतगणना का कार्य भी शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न होगा। उन्होंने बताया कि जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों 76-चुरहट, 77-सीधी, 78-सिहावल एवं 82-धौहनी की मतगणना संजय गांधी स्मृति शासकीय महाविद्यालय (पुराना भवन) सीधी में दिनांक 04.06.2024 को की जायेगी। मतगणना के लिए स्ट्रॉंग रूम प्रातः 7 बजे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर/ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जावेगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए दो-दो कक्षों में व्यवस्था की गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 16

निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी अधिकृत फोटोयुक्त प्रवेश पास के आधार पर ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन एवं अन्य प्रतिबंधात्मक सामग्री के साथ प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। उन्होंने कहा कि समस्त कार्यवाहियां आयोग के निर्देशों के अनुरूप ही की जावेगी। कोई भी समस्या होने पर वह उनसे सीधे संपर्क कर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिंगरौली चन्द्रशेखर शुक्ला वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े रहे तथा उन्होंने सिंगरौली जिले की तीन विधानसभा क्षेत्रों के लिए की गई व्यवस्थाओं से अवगत कराया। बैठक में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11-सीधी के अभ्यर्थी एवं अधिकारियों की उपस्थिति रहे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर नीलेश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर एसपी मिश्रा, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सीधी प्रिया पाठक, सिहावल प्रशान्त त्रिपाठी, धौहनी आरपी त्रिपाठी, चुरहट शैलेश द्विवेदी, एसडीओपी गायत्री तिवारी, मास्टर टेकर डॉ अरविन्द त्रिपाठी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर देवसर, चितरंगी, सिंगरौली एवं ब्योहारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

मतगणना के लिए प्रेक्षक नियुक्त

सीधी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11-सीधी की मतगणना के लिए विधानसभा क्षेत्र 76-चुरहट एवं 77-सीधी के लिए श्री अभिषेक कुष्णा (आईएएन) तथा 78-सिहावल एवं 82-धौहनी के लिए श्री अश्विनी खजूरिया को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।

